लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 13/ 2023
GCMS NO. : 2023/66

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री डायालाल मेवाडा/ धुलजी मेवाडा, पूर्व निवासी सुजाजी का गडा, जिला बांसवाडा हाल मु. ई–24, सत्यम नगर, रो हाउस, एन आर जनता नगर, साहवाडी नारोल, अहमदाबाद, गुजरात	बनाम	जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 21–09–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 15–03–2023 **(पोस्टल ऑर्डर नं. 39 एफ 492544)** को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा पत्रांक एफ 32( ) रसद/आरटीआई/ 2023/ 37 दिनांक 05–04–2023 से [illegible] सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:24 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 12–09–2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया। रेस्पोडेंट का नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हुआ। अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित सूचना ट्रेक कन्साईन्मेंट अनुसार दिनांक 18.09.2023 को प्राप्त हो चुकी है।

जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने उनके पत्रांक एफ 1( ) रसद/ आरटीआई/ 2023/ 110 दिनांक 21–09–2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि वांछित सूचना पत्रांक एफ 32( ) रसद/ आरटीआई/ 2023/ 37 दिनांक 05–04–2023 से सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाई गई है। बिन्दु सं. 2 के सन्दर्भ में चाही गई सूचना कार्यालय में भौतिक रुप से संधारित नही की जाती है, उक्त सूचना राजस्थान की सरकार की वेबसाईड पर उपलब्ध है। जिस बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया गया है।

आज दिनांक 21–09–2023 को अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित है।

हमने पत्रावली का एवं **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 15–03–2023 पर **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा उनके पत्रांक 37 दिनांक 05.04.2023 से 2 बिन्दुओ पर उपलब्ध कराई गई सूचना का अवलोकन किया।

1. **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने बिन्दु संख्या 1 से चाही सम्पूर्ण सूचना से अपीलार्थी को अवगत करा दिया है। किन्तु उक्त सूचना से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बिन्दु सं. 1 में यह कथन किया कि "उक्त उचित मुल्य की दुकाने किस वार्ड, किस गली, किस मौहल्ले में, किस पते पर संचालित है इसकी जानकारी उपलब्ध ना करवाई जाकर सिर्फ गॉव का नाम ही दिया गया है।"

सूचना प्राप्त करने का अभिप्राय किसी तथ्य की जानकारी प्राप्त करना है और लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे अच्छी तरह प्रकट किये जाने के बाद भी ... प्रश्न किया जाना तर्क संगत नही है। लोक सूचना अधिकारी असंगत तथ्यों से ... प्रश्नों के उत्तर देने के लिये बाध्य नही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:24 IST
Reason: SelfAttested

2. **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने बिन्दु संख्या 2 से चाही गई सूचना उनके कार्यालय में भौतिक रुप से संधारित नही किये जाने से उक्त सूचना राजस्थान सरकार की वेबसाईड

जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होने बाबत् अपीलार्थी को अवगत कराया है। किन्तु उक्त सूचना से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील में बिन्दु सं. 2 में यह कथन किया कि "अपीलार्थी उक्त जानकारी /विवरण विभागीय वेबसाईड पर नही देखना चाहता बल्कि सम्बन्धित उक्त विभाग से ही लिखित में प्राप्त करना चाहता है।"

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है।" चूंकि **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने वांछित सूचना उनके कार्यालय के अभिलेख में नही होने उक्त सूचना राजस्थान सरकार की वेबसाईड food.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध होने बाबत् अपीलार्थी को सूचित किया है।

इस प्रकार **जिला रसद अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा प्रार्थी को उनके द्वारा वांछित नो बिन्दुओ की सूचना के सन्दर्भ में अवगत करा दिया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से ील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 20–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:15:24 IST
Reason: SelfAttested

13. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है ——————————